20 [illegible]

तथा उक्त अभिलेख्य की किसी भी
मद का लिखित आदेश विलम्ब
जो के आधार भी उपस्थित नहीं
होने से वादी का वाद पत्र अदम
पैरवी अदम पेशी से खारिज किया
जाता है पत्रावली नियम अनुसार
होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.02.19 14:33:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: JAHAZPUR